

राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा

जबकि, इलिनॉय राज्य में भीषण तूफानों के कारण रिकॉर्ड तोड़ मौसम संबंधी घटनाएं हुई हैं, जिनमें बवंडर, भारी वर्षा, अचानक बाढ़, ओलावृष्टि और सीधी रेखा वाली हवाएं शामिल हैं, जिनसे व्यापक क्षति और विनाश हुआ है; और,

जबकि, 2026 में, इलिनॉय राज्य ने राष्ट्रीय मौसम सेवा द्वारा अब तक सत्यापित लगभग 210 बवंडरों के साथ बवंडरों में देश का नेतृत्व किया है; और,

जबकि, भयंकर तूफानों के इन कई दौरों, जिनमें से कुछ हाल ही में अगस्त के मध्य से अंत तक आए थे, ने पुनर्प्राप्ति में देरी की है और इलिनॉय भर में और विशेष रूप से शैम्पेन, कुक, फोर्ड, फुल्टन, मैकलीन, टेज़वेल, वर्मिलियन और विल काउंटियों में प्रभावित समुदायों के लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण की रक्षा के लिए आपातकालीन उपायों और संसाधनों को लगातार सक्रिय करने की आवश्यकता है। ये समुदाय विनाशकारी बवंडरों और भीषण तूफानों से उबरने की कोशिश कर रहे हैं और निकट भविष्य में भी ऐसा ही करते रहेंगे; और,

जबकि, प्रभावित जिलों और समुदायों में स्थानीय संसाधन और क्षमताएं समाप्त हो चुकी हैं, और इन तूफानों के प्रभावों से निपटने और उनसे उबरने में सहायता के लिए राज्य संसाधनों की आवश्यकता है, जिसमें लोक स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करना और अधिक गंभीर और स्थायी नुकसान के खतरों को कम करना या टालना शामिल है; और,

जबकि, ये स्थितियां इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट) के अनुभाग 7 के अंतर्गत आपदा की उद्घोषणा जारी करने का विधिक औचित्य प्रदान करती हैं;

अतः, मैं, जेबी प्रिट्ज़कर, इलिनॉय राज्य का राज्यपाल, इलिनॉय संविधान और कानूनों द्वारा मुझे प्रदत्त कार्यकारी अधिकार के तहत, और इलिनॉय के लोगों और लोक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार स्थानीय सरकारों की सहायता के हित में, एतद्वारा निम्नलिखित घोषणा करता हूँ:

अनुभाग 1: इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम, 20 आईएलसीएस 3305/7 की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसार, मैं पाता हूँ कि इलिनॉय राज्य के भीतर आपदा की स्थिति बनी हुई है और विशेष रूप से इन सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित करता हूँ: शैम्पेन, कुक, फोर्ड, फुल्टन, मैकलीन, टेज़वेल, वर्मिलियन और विल।

अनुभाग 2: आईईएमए-ओएचएस को राज्य आपातकालीन संचालन योजना के कार्यान्वयन को जारी रखने और आपदा प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति कार्यों में स्थानीय सरकारों का समर्थन करने के लिए राज्य संसाधनों का समन्वय करने का निर्देश दिया गया है।

अनुभाग 3: इलिनॉय परिवहन विभाग, इलिनॉय पर्यावरण संरक्षण एजेंसी और इलिनॉय वाणिज्य और आर्थिक अवसर विभाग, आवश्यकतानुसार स्थानीय सरकारों को राहत और पुनर्प्राप्ति प्रयासों में सहायता प्रदान करेंगे। अन्य सभी राज्य एजेंसियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आपदा

प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति गतिविधियों के लिए क्षमताओं की पहचान करने और उन्हें सक्षम बनाने के लिए आईईएमए-ओएचएस के साथ सहयोग करें।

अनुभाग 4: इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम द्वारा अधिकृत प्रतिक्रिया और अन्य आपातकालीन शक्तियों के लिए आवश्यक आपातकालीन खरीद में सहायता के लिए, इलिनॉय खरीद संहिता, संयुक्त खरीद अधिनियम और राज्य संपत्ति नियंत्रण अधिनियम के वे प्रावधान जो किसी भी तरह से आपदा से निपटने के लिए आवश्यक कार्रवाई को रोकते, बाधित करते या विलंबित करते हैं, उस हद तक निलंबित किए जाते हैं जहां तक वे संघीय कानून द्वारा आवश्यक नहीं हैं।

अनुभाग 5: इन भीषण तूफानों से उत्पन्न मलबे के निपटान में सहायता के लिए, जिसमें भस्मीकरण उपकरणों का उपयोग भी शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, वे सभी वैधानिक और नियामक प्रावधान जो परमिट या लाइसेंस की शर्त रखते हैं और जो किसी भी तरह से आपदा से निपटने के लिए आवश्यक कार्रवाई को रोकते, बाधित करते या विलंबित करते हैं, उन्हें उस हद तक निलंबित किया जाता है जहां तक वे संघीय कानून द्वारा आवश्यक नहीं हैं।

अनुभाग 6: यह उद्घोषणा राज्य एजेंसियों द्वारा निर्धारित संघीय और राज्य आपदा सहायता के अनुरोधों को सुविधाजनक बना सकती है। राहत और बचाव प्रयासों में सहायता के लिए, अनुदान जवाबदेही और पारदर्शिता अधिनियम (GATA) और उसके तहत जारी किए गए नियमों के वे प्रावधान जो किसी भी तरह से आपदा से निपटने के लिए आवश्यक कार्रवाई को रोकते, बाधित करते या विलंबित करते हैं, उस हद तक निलंबित किए जाते हैं जहां तक कि वे संघीय कानून द्वारा आवश्यक नहीं हैं।

अनुभाग 7: यह घोषणा तत्काल प्रभाव से लागू होगी और 30 दिनों तक प्रभावी रहेगी।

जे.बी. प्रिट्ज़कर
राज्यपाल

दिनांक: 15 सितंबर, 2026